

सुखवीर सिंह बनाम सरकार
प्रकरण संख्या 39/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल में
जारी हुये

10/3/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। स्टेट जबाब प्राप्त हुआ। साक्ष्य में वादी ने शपथ पत्र पेश किया। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम सुखवीर सिंह पुत्र अन्तरसिंह है। अतः वाद वादी डिकी करते हुए रोही मौजा मायला के ख.नं. 755 की 5.058 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा में दर्ज वादी का नाम सुखवीर पुत्र अन्तरसिंह के स्थान पर सुखवीर सिंह पुत्र अन्तरसिंह दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10/3/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक क्लर्क रजि
सुपखण्ड अधिकारी
राजसम

